

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

गायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

वान नाथूराम बनाम अमिधारी
 मुकदमा नं. 72 सन् 2020

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
29 ⁰⁷ 2020	वादीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने वाद पक्ष पेश किया। निर्णय कर लिया की गयी। वाद पक्ष दर्ज नहीं किया जावे। प्रतिवादी स्व. श्री. अरवि रामानन्द लाल किया जावे तथा अर्ज/ निर्णय फांसी देते तद्वती श्री. ए. सिद्धा अर्जित दिनांक 25/08/20 को पेश की है। 30-09-2020 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र मिसल तलब की न्याय हिल में स्वीकार किया जाने पर पत्रावली कोविड-19 संक्रमण के चलते पूर्व से नियत इकजाही पेशी दिनांक 04-12-2020 से तलब की जाकर आज पेश हुई। प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्मति रूप से होकर लौरी हैं वाचपूद सम्मति तामील प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय आपाती समल में जाई जारी है। प्रकरण में रहस्य वकील वादी	437 12.9.20 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला सि

सुनी गई। दौराने यहम वकील वादी ने
अपने वादपत्र में अंडित तथ्यों की दोहराने
हुए मुताबिक अनुलोष दावा निम्नी करमाया
जाने का निवेदन किया।



पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रेकार्ड का व दरतावेजात का अव-
लोकन किया गया एवं यहम वकील वादी
पर सगौर मनन बापा।

धृति वादी विवादग्रस्त भाराजी
खण्ड नं० 2148, 2149, 2142/2542 पुराने जिनके
नवीन खण्ड नं० 3443, 3444, 3446 तन ग्राम
कोटडी लुहारवास का जरिह रजिस्टर्ड विक्रय
लेख होता है जिसके नामान्तरकरण उपरान्त
जमाबन्दी बसम्बत 2034 - 2037 में वादी
का नाम "नाथूराम पुत्र भगवानाराम" दर्ज
है, साथ ही वादी के पहचान के दरतावेजात
यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, बैंक
पास बुक, भामाशाह कार्ड आदि में भी वादी
का नाम "नाथूराम" ही दर्ज है। अतः उक्त
समस्त तथ्यों के मध्यम नजर वाद वादी स्वीकार
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

आदेश

तन ग्राम कोटडी लुहारवास तहसील
खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित
कृषि भूमि खण्ड नं० 3443, 3444, 3446
में वादी का नाम "नाथूराम पुत्र भग-
वानाराम" के स्थान पर "नाथूराम
पुत्र भगवानाराम" दुरुस्त किया जाता
है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल
दरामद हो तथा तदनुसार प्रकरण में

प्रण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

पर्याप्त डिग्री मुर्ती हो। पत्रावली केसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा
षाद तकमील केसल रेजार्ड में शामिल
हो। यह निर्णय आज दिनांक 30/03/2020
को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित
जारी किया जाकर खुद न्यायालय में
सुनाया गया।

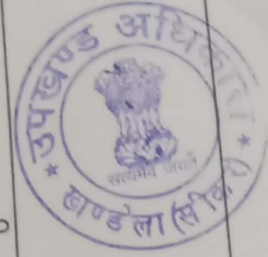
30/3/2020.

(राकेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी RAS

खण्ड अधिकारी

खण्ड (सीडर)



डिक्री मुकदमा इन्तदाइ

(ओ 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

खण्डेला

उपखण्ड अधिकारी
श्री राकेश कुमार RAS
नाथूराम पुर भगवानाराम बनाम श्री भूमिदारी तहसीलदार, खण्डेला
दावा हावत डुरुस्ती राजस्व रेकाई
मुकदमा नं. 72 सन 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबर
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है द डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम कोटरी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला
सीकर (राज) अवस्थित कृषि भूमि प्लॉट नं 3443,
3444, 3446 में वादी का नाम "मानूराम पुर
भगवानाराम" के स्थान पर "नाथूराम पुर भगवानाराम"।

बाबत
मुकदमा नं. 72 सन 2020
30 09 2020
दस्तावेज (राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)



मुद्दा	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा मदाहान			खर्चा मदाहान		
फीस कमिशनर			फीस कमिशनर		
बाबत इजराय हुकमनामा			बाबत इजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

यह दस्तावेज पर कुल खर्चा हर दो फरीकत का चाहे डिगरी के जरिये दिया जा रहा हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

✱ जाति अहीर निवासी बगरी श्यामीवासी
तम कोरजी बुहारवास तहसील खण्डेला जिला
सीकर (राज०)

- (वादी)

✱ दुकस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व
रेकार्ड में अमल दरामद हो।

30/9/2022
(राकेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

